(c) No general decision has been taken on the recommendation of the Fifth Central Pay Commission for abolishing posts under the Government. Matters relating to abolition or creation of posts are decided on the basis of merits and need.

मध्य प्रदेश कैडर के आई०ए०एस० अधिकारियों की पदोन्नति

3311. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा से कितने अधिकारी आई०ए०एस० संवर्ग में पदोन्नत हुए; उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं;

(ख) कितने अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित थी;

(ग) कितने प्रकरणों में विभागीय जांच पूर्ण किए बिना जांच समाप्त कर दी गयी थी और पदोन्नति दे दी गई थी; और

(घ) क्या ऐसे सभी लोग पूर्णरूप से निर्दोष थे, जिनके विरुद्ध जांच समाप्त कर दी गई थी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) और (ख) पिछले दस वर्ष के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नत हुए मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या में और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अधिकारियों की संख्या एवं उन अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है, (नीचे देखिए) जिन्हें उनके खिलाफ विभागीय जांच-पड़ताल के लंबित होने के कारण प्रवर-सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

(ग) इस बारे में संगत नियमों के अनुसार, प्रवर-सूची में अनंतिम रूप से शामिल किसी ऐसे अधिकारी, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच-पड़ताल लंबित हो, की पदोन्नति पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब उसके खिलाफ विभागीय जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर, प्रवर-सूची की वैधता की अवधि के दौरान, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य-सरकार की संस्तुति के आधार पर, अधिकारी का नाम प्रवर सूची में बिना शर्त शामिल कर दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा पहले, प्रवर सूची में अधिकारी की अवस्थिति बिना शर्त घोषित करने के बारे में संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाना अपेक्षित होता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण सूचना एवं रिकार्ड के आधार पर, संघ लोक सेवा आयोग, प्रवर सूची में संबंधित अधिकारी की अवस्थिति "अनंतिम" से "बिना शर्त" करने के संबंध में मामले के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय करता है। तत्पश्चात्, प्रवर-सूची में इस प्रकार बिना शर्त शामिल किए गए अधिकारी की नियुक्ति के बारे में राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार, ऐसे अधिकारी की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति को अधिसूचित करती है। इस प्रकार यदि ऐसा कोई मामला रहा है जिसमें विभागीय जांच-पड़ताल का कार्य पूरा किए बिना जांच समाप्त कर दी गई, तो वह राज्य सरकार से संबद्ध था। तथापि, प्रवर-सूची में शामिल कोई भी अधिकारी तब तक पदोन्नत नहीं किया जाता जब तक कि राज्य सरकार द्वारा सेवा में उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव भेजते समय अधिकारी के पक्ष में "कार्य-निष्पादन में गुणह्रास नहीं" हुआ है, के आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए।

(घ) **प्रवर सूची में अनंतिम रूप से शामिल राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल का केन्द्र सरकार से कोई वास्ता नहीं होता।** प्रवर सूची में, अनंतिम रूप से शामिल अधिकारियों को बिना शर्त शामिल करने की प्रक्रिया, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए संगत महत्वपूर्ण रिकार्ड की छान-बीन करने के पश्चात् निष्पादित करता है। ऐसे अधिकारियों की उम्मीदवारी के आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही उनके मामले केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के विचारार्थ उपयुक्त ठहरते हैं। ऐसा करते समय प्रवर सूची में अधिकारी का नाम शामिल किए जाने की तारीख और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तारीख के बीच की अवधि के संबंध में राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी के "कार्य-निष्पादन में गुणह्रास नहीं" आया है के आशय का प्रमाण पत्र ले लेना सुनिश्चित किया जाता है। यहां तक कि, किसी भी अधिकारी का नाम प्रवर-सूची में शामिल किए जाने हेतु मामले पर विचार किए जाने के क्रम में उसके पक्ष में असंदिग्ध सत्यनिष्ठा के प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है।

विवरण

वर्ष 1988-89 से वर्ष 1996-97 की प्रवर-सूचियों में से भा०प्र०से० में पदोन्नत किए गए अधिकारियों की संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध, चयन के समय विभागीय जांच लंबित थी।

क्र०सं०	प्रवर सूची का वर्ष	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध जांच लंबित थी	भा०प्र०से० में पदोन्नत किए गए अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6
1.	1988-89	एक	11	शून्य	01
2.	1989-90		कोई बैठक नहीं हुई		
3.	1990-91	चार	13	03	02
4.	1991-92		कोई बैठक नहीं हुई		
5.	1992-93	तीन	14	03	01
6.	1993-94	तीन	08	01	शून्य
7.	1994-95	शून्य	12	03	02
8.	1995-96	शून्य	10	शून्य	04
9.	1996-97	शून्य	13	01	01

मध्य प्रदेश में एल०पी०जी० एजेंसियां

3312. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में, एल० पी० जी० वितरण का कार्य कितनी एजेंसियों को सौंपा गया है;

(ख) वितरण के लिए उन्हें जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्रदान किये गए अतिरिक्त कनेक्शनों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में स्वीकृत किये जाने वाले नए कनेक्शनों और नई एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 321 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत थी जिनके ग्राहकों की संख्या 16.89 लाख थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1995-96 से 1997-98 तक के दौरान मध्य प्रदेश में कुल 3,86,415 कनेक्शन जारी किए गए थे।

(घ) पहले की विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा 273 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें मध्य प्रदेश के लिए 1996—98 की एल० पी० जी० विपणन योजना में शामिल की गई हैं। नए कनेक्शन देने का निर्णय 1998-99 के लिए पंजीकरण योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किया जाएगा।

Expansion of HPCL

3313. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) propose to implement its expansion programme;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) by when these expansion programmes are proposed to be implemented; and

(d) the fund earmarked therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (d) Hindustan Petroleum Corporation